



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 237]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2001/चैत्र 22, 1923

No. 237]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2001/CHAITRA 22, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2001

का. आ. 329(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने, और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं आदि पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और दिल्ली उच्च न्यायलय में शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंधित सिविल रिट याचिका सं. 4198/98 में अर्जीदार द्वारा उठाए गए आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार कर लिया गया है;

और केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मुद्दों की जांच कर ली है।

और केंद्रीय सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाओं तथा पाइपलाइनों, संप्रेषण प्रणालियों जिसके अन्तर्गत परेषण लाइनें भी हैं और तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं की अपेक्षा पर भी विचार कर लिया है;

और केंद्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस अधिसूचना के विद्यमान उपबंधों को सुमेल बनाया जाए;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त अधिसूचना को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबंध है "कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए, जब कभी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो यह उक्त नियमों के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त कर सकेगी";

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना को संशोधित करने के लिए नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोकहित में होगा।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,—

(1) उप पैरा (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

“(i) नए उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों का विस्तार (क) सीधे तटीय नगर भाग से संबंधित या सीधे तटाग्र सुविधाओं की आवश्यकता वाले उद्योगों और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं को छोड़कर;”;

(2) उप पैरा (ii) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट पेट्रोल उत्पाद तथा द्रवित प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाएं और द्रवित प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण के लिए सुविधाएं जो (i) सुरक्षा विनियमों, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त भी हैं, के कार्यान्वयन के अधीन रहते हुए और पर्यावरण से संबंधित सुधारात्मक और प्रत्यावर्तक उपायों के जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियत किए जाएं, कार्यान्वयन के लिए ऐसे और निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, उन क्षेत्रों, जो सी आर जेड-1 के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, उक्त परिक्षेत्र के भीतर अनुज्ञात की जा सकेगी;”;

(3) उप पैरा (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) भूमि पुनरुद्धार, समुद्रजल के नैसर्गिक मार्ग को बंद करना या उसे अस्त व्यस्त करना सिवाय उनके जो पत्तनों, बन्दरगाहों, जैटियों, वाफों, घाटों, जलाशयतरणों, पुलों और सामुद्रिक संयोजन के और अन्य सुविधाओं के, जो अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य हैं, सन्निर्माण या आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए अपेक्षित है अथवा तटीय कटाव के नियंत्रण और जलमार्गों चैनलों और पत्तनों के अनुरक्षण के लिए अथवा बालूभित्तियों के निवारण के लिए या ज्वारीय विनियामकों, तूफानी जल निकासों के निवारण के लिए अथवा लवणता प्रवेश और मृदु जल पुनः प्रारंभ करने की संरचनाओं के लिए अपेक्षित है।

परन्तु विपणन और आवासीय परिसरों, होटलों और मनोरंजन क्रियाकलापों जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुनरुद्धार अनुज्ञेय नहीं होगा;”;

(4) उप पैरा (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“निम्नलिखित को छोड़कर, बालू चट्टानों और अवस्तर सामग्री का खनन; (क) ऐसे दुर्लभ खनिज जो सी आर जेड क्षेत्रों के बाहर उपलब्ध नहीं हैं और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और निष्कर्षण;”;

(5) उप पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“इस अधिसूचना के अनुबंध-1 में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर सी आर जेड-1 में सन्निर्माण क्रियाकलाप;”;

3. पैरा 3 में उपपैरा (2) में,—

(1) उप खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) रक्षा परियोजनाओं के ऐसे वर्गीकृत संचालन उपकरणों को छोड़कर, जिनके लिए पृथक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं या रक्षा अपेक्षाओं संबंधी ऐसे सन्निर्माण क्रियाकलाप, जिनके लिए जलाशयतरण, जैटी, वाफ, घाट आदि जैसी तटाग्र सुविधाएं अनिवार्य हैं; (आवासीय भवन, कार्यालय भवन, अस्पताल कंप्लैक्स, कार्यशालाएं अतिविशेष मामलों के सिवाय संचालनात्मक अपेक्षाओं के अंतर्गत नहीं आएंगी, अतः इन्हें सामान्यतः सी आर जेड में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा);”;

(2) उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) पत्तनों और बंदरगाहों तथा लाइट हाउसों के संचालनात्मक सन्निर्माण और जैटियों, वाफों, घाटों और जलाशयतरणों जैसे क्रियाकलापों, लाइपलाइनों, पारेषण लाइनों सहित संप्रेषण प्रणालियों के लिए सन्निर्माण;”;

(3) उपखंड (2) में विद्यमान परंतुक का लोप किया जाएगा।

4. अनुबंध-1 के पैरा 6 के उपपैरा (2) में,—

(1) “सी आर जेड-1” शीर्ष के अधीन निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“निम्नलिखित को छोड़कर सी आर जेड-I में किसी नए सन्निर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा; (क) परमाणु उर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाओं और (ख) पाइपलाइनों, पारेपण लाइनों सहित संप्रेषण प्रणालियां और (ग) सी आर जेड-I के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य प्रसुविधाओं। एल टी एल और एच टी एल के बीच पैरा 2(12) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को अनुज्ञात किया जा सकेगा व इसके अतिरिक्त एल टी एल और एच टी एल के बीच ऐसे क्षेत्रों में, जो परिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण नहीं हैं; निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी: (क) प्राकृतिक गैसों की खोज और निष्कर्षण, (ख) पैरा 2 के उपपैरा (2) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलाप और (ग) ऐसे औषधालयों, विद्यालयों, लोक रैन शैल्टरों, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़कों, जैटियों, जलापूर्ति, जल निकास, मल व्यवस्था का पश्चिमी बंगाल राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मामला दर मामला आधार पर सन्निर्माण, जो सुंदरबन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के पारंपरिक निवासियों के लिए अपेक्षित हैं”।

5. अनुबंध III में,—

(1) शीर्ष में “पत्तन क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर “सी आर जेड-I (i) को छोड़कर तटीय विनियमन क्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे।

(2) मद (xiii)के पश्चात् अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(xiv) द्रवित प्राकृतिक गैस (एल एन जी)”

6 जल-भूतल मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई, 1997 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक प्रदान किए गए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाणपत्र विधिमाम्य है। जल-भूतल मंत्रालय के समक्ष पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए लंबित सभी प्रस्ताव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पर्यावरण और वन मंत्रालय को अंतरित किए गए समझे जाएंगे।

[फा. सं. एच-11011/6/97-आईए-III]

डा. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—

- (i) का. आ. 595 (अ) तारीख 18 अगस्त, 1994
- (ii) का. आ. 73 (अ) तारीख 31 जनवरी, 1997
- (iii) का. आ. 494 (अ) तारीख 9 जुलाई, 1997
- (iv) का. आ. 334 (अ) तारीख 20 अप्रैल, 1998
- (v) का. आ. 873 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 1998
- (vi) का. आ. 1122 (अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1998
- (vii) का. आ. 998 (अ) तारीख 29 सितम्बर, 1999
- (viii) का. आ. 730 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2000
- (ix) का. आ. 900 (अ) तारीख 29 सितम्बर, 2000

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2001

S.O. 329 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number. S.O. 114 (E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas objections raised by the petitioner in the High Court of Delhi in civil writ petition No.4198/98 relating to delegation of powers have been duly considered by the Central Government;

And whereas issues relating to delegation of powers have been examined by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the Central Government has also considered the requirement of projects relating to Department of Atomic Energy and pipelines, conveying systems including transmission lines and other facilities essential for activities permissible under the notification in the CRZ areas;

And whereas the Central Government deems it necessary to harmonise the existing provisions of the notification;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, "Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rules;"

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) sub-rule (3) of rule 5 for amending the said notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification.

2. in the said Notification, in paragraph 2, -

(1) for sub-paragraph (i), the following shall be substituted, namely:-

"(i) setting up of new industries and expansion of existing industries, except (a) those directly related to water front or directly needing foreshore facilities and (b) Projects of Department of Atomic Energy;"

(2) in sub-paragraph (ii), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely :-

"Provided that, facilities for receipt and storage of petroleum products and Liquefied Natural Gas as specified in Annexure-III appended to this notification and facilities for regasification of Liquefied Natural Gas, may be permitted within the said Zone in areas not classified as CRZ-I (i), subject to implementation of safety regulations including guidelines issued by the Oil Industry Safety Directorate in the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas and guidelines issued by the Ministry of Environment and Forests and subject to such further terms and conditions for implementation of ameliorative and restorative measures in relation to the environment as may be stipulated by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;"

(3) for sub-paragraph (viii), the following shall be substituted, namely: -

"(viii) Land reclamation, bunding or disturbing the natural course of sea water except those required for construction or modernisation or expansion of ports, harbours, jetties, wharves, quays, slipways, bridges and sea-links and for other facilities that are essential for activities permissible under the notification or for control of coastal erosion and maintenance or clearing of water ways, channels and ports or for prevention of sandbars or for tidal regulators, storm water drains or for structures for prevention of salinity ingress and sweet water recharge:

provided that reclamation for commercial purposes such as shopping and housing complexes, hotels and entertainment activities shall not be permissible;"

1108 G/2001-2

- (4) for sub-paragraph (ix), the following shall be substituted, namely: -

"(ix) Mining of sands, rocks and other substrata materials, except (a) those rare minerals not available outside the CRZ areas and (b) exploration and extraction of Oil and Natural Gas;"
- (5) for sub-paragraph (xi), the following shall be substituted, namely: -

" construction activities in CRZ -I except as specified in Annexure -I of this notification;"
3. in paragraph 3, in sub-paragraph 2, -
 - (1) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(i) Construction activities related to projects of Department of Atomic Energy or Defence requirements for which foreshore facilities are essential such as slipways, jetties, wharves, quays; except for classified operational component of defence projects for which a separate procedure shall be followed. (Residential buildings, office buildings, hospital complexes, workshops shall not come within the definition of operational requirements except in very special cases and hence shall not normally be permitted in the CRZ);"
 - (2) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(ii) Operational constructions for ports and harbours and light houses and constructions for activities such as jetties, wharves, quays and slipways, pipelines, conveying systems including transmission lines;"
 - (3) in sub-clause (ii) existing provisos shall be omitted.
4. in Annexure-I, in paragraph 6, in sub-paragraph (2), -
 - (1) Under heading CRZ-I, the following shall be substituted, namely:-

"No new construction shall be permitted in CRZ- I except (a) Projects relating to Department of Atomic Energy and (b) Pipelines, conveying systems including transmission lines and (c) facilities that are essential for activities permissible under CRZ-I. Between the LTI, and the HTL, activities as specified under paragraph 2 (xii) may be permitted. In addition, between LTL and HTL in areas which are not ecologically sensitive and important, the following may be permitted: (a) Exploration and extraction of Natural Gas, (b) activities as specified under proviso of sub-paragraph (ii) of paragraph 2, and (c) Construction of dispensaries, schools, public rain shelters, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage which are required for traditional inhabitants of the Sunderbans Bio-sphere reserve area,

West Bengal, on a case to case basis, by the West Bengal State Coastal Zone Management Authority".

5. In Annexure-III

(1) in the heading, for the words "Port Areas", the words "Coastal Regulation Zone except CRZ I- (i)" shall be substituted.

(2) after item (xiii), the following shall be inserted at the end, namely:-

"(xiv) Liquefied Natural Gas (LNG)"

6. Environmental clearances accorded by the Ministry of Surface Transport from 9th July 1997 till the publication of this notification are valid. All proposals for environmental clearance pending with the Ministry of Surface Transport stand transferred to Ministry of Environment and Forests from the date of publication of this notification,

[F. No. H-11011/6/97-IA-III]

DR. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Foot Note - The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 114(E), dated, the 19th February, 1991 and subsequently amended vide: -

- (i) S.O. 595 (E) dated 18th August, 1994
- (ii) S.O. 73 (E) dated 31st January, 1997
- (iii) S.O. 494 (E) dated 9th July, 1997
- (iv) S.O. 334 (E) dated 20th April, 1998
- (v) S.O. 873 (E) dated 30th September, 1998
- (vi) S.O. 1122 (E) dated 29th December, 1998
- (vii) S.O. 998 (E) dated 29th September, 1999
- (viii) S.O. 730 (E) dated the 4th August, 2000
- (ix) S.O. 900 (E) dated the 29th September, 2000.

